न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 57 / 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025 / 86

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

श्रवणकुमार पुत्र डूंगरमल
जाति महेश्वरी निवासी बाड़मेर
तहसील व जिला बाड़मेर

1.शोभादेवी पत्नि भीकमचंद
जाति महेश्वरी निवासी बालोतरा
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

2.भरतकुमार आजाद पुत्र रामगोपाल
जाति अग्रवाल निवासी अग्रवाल कोलानी
बालोतरा तहसील पचपदरा

3.आयुक्त नगर परिषद बालोतरा

4.आर्किटेक्ट प्रकाश बी.आजाद पुत्र
भरतकुमार जाति अग्रवाल निवासी
सुखसागर कोलानी बालोतरा तहसील
पचपदरा

5.चम्पादेवी पत्नि भीमाराम जाति माली
निवासी जसोल (आर.एस.एस.कार्यकर्ता)

6.छगनराज पुत्र तिलोकचन्द ओसवाल
निवासी पवन शोपिग सेटर के
पास,अग्रवाल कोलानी बालोतरा

7.नरेन्द्रकुमार पुत्र नारायणप्रसाद
जाति ओसवाल निवासी रूगजी की पोल
न्यू अंबिका ज्वैलर्स के पास बालोतरा

8.रविन्द्र प्रकाश जैन पुत्र देवीलाल
जाति ओसवाल निवासी पित्ती कोलानी
बालोतरा

9.राजकुमार पुत्र मिश्रीमल जाति ओसवाल
निवासी सुन्दर कॉम्पलेक्स पवन शापिग
सेटर के पास बालोतरा

10.राजेन्द्रकुमार पुत्र मिश्रीमल
जाति ओसवाल निवासी नयापुरा बालोतरा

11.ललितकुमार पुत्र पारसमल
जाति ओसवाल निवासी बलदेवजी की
पोल बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

12.ललितादेवी पत्नि रघुवीरप्रसाद जाति ओसवाल निवासी बलदेवजी की पोल बालोतरा

13.शान्तिदेवी पत्नि श्यामलाल जाति ओसवाल निवासी रामलीला मैदान बालोतरा

14.राजस्थान राज्य जरीए तहसीलदार पचपदरा व जिला बालोतरा

15.कमलेश कुमार मेहता पुत्र राणमल मेहता जाति ओसवाल निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

16.जितेन्द्रकुमार मेहता पुत्र राणमल मेहता जाति ओसवाल निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रार्थी

2.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 15 व 16

3.विप्रार्थी संख्या 1 से 14 एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 18.06.2025

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम तेमावास पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 610/206 क्षेत्रफल 0.8094 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थी द्वारा ग्राम तेमावास पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 610/206 क्षेत्रफल 0.8094 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र गहलोत द्वारा विप्रार्थी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

संख्या 15 व 16 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया तथा उक्त विप्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 से 14 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण विप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 15 व 16 अधिवक्तो की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम तेमावास पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 610/206 क्षेत्रफल 0.8094 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहते है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि विप्रार्थी की ओर से सारहीन तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है,क्योकि विवादित आराजी की सीमाज्ञान रिपोर्ट पूर्व मे हो रखी है और दुबारा सीमाज्ञान करवाए जाने की आवश्यकता नही है। अतः विप्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम तेमावास पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 610/206 क्षेत्रफल 0.8094 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.इसके विपरीत विप्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी की ओर से सारहीन तथ्यो के आधार पर आवेदन पत्र पेश किया गया है,जो कि चलने योग्य नही है,क्योकि प्रार्थी की ओर से विवादित आराजी दिनांक 16.1.2025 को खरीद की गई है तथा खरीद के बाद विवादित आराजी का कब्जा प्राप्त किया है। जबकि विवादित आराजी का प्रार्थी द्वारा दिनांक 03.1.2025 को सीमाज्ञान होना बताया गया है,जो कि गलत तथ्य बताए गए है,क्योकि प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.1.2025 को भूमि खरीद के बाए सीमाज्ञान नही करवाया गया है। इस कारण प्रार्थी का आवेदन विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किया जावे।

5.हमनें उभयपक्ष अधिवक्तो की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम तेमावास पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 610/206 क्षेत्रफल 0.8094 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी मे अवस्थित है। पत्रावली के संलग्न छायाप्रति बेचानपत्र अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी दिनांक 21.1.2025 को खरीद की गई है। जबकि पत्रावली के संलग्न छायाप्रति

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

मौका फर्द दिनांक 03.1.2025 को सीमाज्ञान होना बताया है। तत्समय प्रार्थी विवादित आराजी का खातेदार भी नही था। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी को खरीद के बाद सीमाज्ञान कार्यवाही नही की गई है,जो कि प्रार्थी सीमाज्ञान कार्यवाही के बिना नेखमबंदी आवेदन लाने का हकदार नही है। इस प्रकार प्रार्थी का आवेदन चलने योग्य नहीं है।

6.उपयुर्क्त विवेचन के उपरांत विप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का आवेदन चलने योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 18.6.2025 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
18/06/2025